ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 87-89

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-03, No.-II, Issues-15YEAR-2014 Extra

ऐतिहासिक एवं वर्तमान संदर्भ में महिला उत्पीड़न के विभिन्न स्वरूप

कुमारी भारती
शोध अध्येत्री– समाज शास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

सारांश : ***सामान्यः बात जब उत्पीड़न की उठती है तो इसमें हम मारपीट, प्रताड़ना, मिथ्यारोपण, परेशान करना, हत्या के प्रयास और हत्या आदि को शामिल करते हैं, परन्तु जब यह उत्पीड़न से महिला उत्पीड़न में संदर्भित हो जाता है तो इसने में अनेक नवीन आयाम सहज ही जुड़ जाते हैं। तथा बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, छेड़छाड़, अपहरण, दैहिक शोषण उत्पीड़न आदि। ये संदर्भ महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा स्थापित करने में चुनौती के रूप में काम करते हैं। यहाँ हमने उत्पीड़न के निम्नलिखित स्वरूपों पर विचार किया है :–***

कुंजीभूत शब्द– उत्पीड़न, ,प्रताड़ना, मिथ्यारोपण, परेशान करना, संदर्भित, आयाम, सहज, बलात्कार, चुनौती ।

1. बलात्कार, यौन उत्पीड़न और दुव्यवहार– पुरूषों द्वारा महिलाओं और युवतियों के साथ बलात्कार, उत्पीड़न, छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित करने का कार्य करता है और इस धारणा को कायम रखता है कि महलाओं को जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पुरूषों के संरक्षण की आवश्यकता है। देश के कई भागों में शिक्षण संस्थाओं में बलात्कार/सामूहिक बलात्कार तथा युवतियों को कुरूप बनाने के लिए तेजाब शरीर पर डालना जैसी घटनायें भी होती हैं कार्य स्थल पर महिला उत्पीड़न और भी निराशाजनक स्थिति है क्योंकि यहाँ पर महिलाएँ ऐसे दुर्व्यवहारों के प्रति रिपोर्ट करने या विरोध करने से कतराती हैं, कारण उन्हें रोजगार से वंचित होने और सामाजिक निन्दा का भय रहता है। (पहचान, महत्व और सामाजिक न्याय 1998:36).

यह तर्क भी अभिकर्त्ता का बचाव मात्र है कि महिलाओं द्वारा भड़कीले वस्त्र पहनने से यौन उत्पीड़न और छेड़खानी को बढ़ावा मिलता है। सामान्य से कपड़ों में लिपटी, साड़ी याा सलवार कमीज पहनी हुई युवती तथा अस्वस्थ कान्याओं को भी यौन उत्पीड़न किया जाता है। वस्तु : यह महिलाओं की निम्न स्थिति और उनके सम्मान के अभाव की स्थिति है कि उन्हें उपभोग की वस्तु मात्र मानकर व्यवहृत किया जाता है।

बलात्कार महिला की इच्छा सहमति के बिना, जोर जबरदस्ती से की जाने वाली संभोग क्रिया है। यह पुरूष और महिला के बीच शक्ति प्रदर्शन का प्रमाण है। बलात्कार द्वारा एक व्यक्ति के रूप में महिला के व्यक्तित्व का ह्रास होता है और उसे केवल वस्तु मान लिया जाता है। भारत में महिलाओं पर अत्याचार और अपराध होते रहे हैं। दहेज हत्या के मुकाबले बलात्कार में चौथा है। यह एक अत्यंत ही चिंताजनक स्थिति है। (रमेश चंद मीणा 1998:25)। बलात्कार की घटनाओं में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। बलात्कार रिफ चाहे नहीं बालिका का हो, युवती अथवा किसी प्रौढ़ महिला का। बलात्कार करने वाला अपिरिचित हो, परिचित दोस्त हो अथवा घरेलु परिजन लेकिन प्रत्येक संदर्भ, महिला शरीर को उपभोग की वस्तु समझने से ही है। आँकड़ों से निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक एक घंटे में देश में कहीं न कहीं एक बलात्कार की घटना घटित होती है और सबसे अधिक भयानक और निराशजानक स्थिति तो यह है कि इसकी संख्या निरन्तर बढ़ रही है। यहाँ तक की 2–3 वर्ष की अबोध बालिका को भी नहीं बख्शा जा रहा है।

2. पारिवारिक अत्याचार और दहेज उत्पीड़न/हत्या परिवार में महिलाओं पर अत्याचार–पत्नी की पिटाई दुर्व्यवहार, भावप्रवण अत्याचार और इस प्रकार के अन्य व्यवहार को पारिवारिक समस्याएँ माना जाता है और इन्हें महिला उत्पीड़न के रूप में नहीं देखा गया है कि समाज के सभी वर्गो में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। विभिन्न समाचार पत्र की रिपोर्ट के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विवाह के पश्चात शुरू के कुछ वर्षों में महिलाओं की मृत्यु की घटनाएँ बढ़ रही हैं। नवविवाहितों पर अत्याचार के चरम रूप को 'दहेज मौत' या 'दुल्हन जलाने की घटना' के रूप में देखा जाता है।

अधिकांश दुल्हन जलाने की घटनाएं या दहेज मौतें या विवाहिता हत्या के मामले लड़की की ससुराल वालों की उन अतृप्त मांगों के परिणाम होते हैं, जिन्हें लड़की के माता–पिता पूरा नहीं कर पाते हैं। बहू को और अधिक कोशिश असफल होने पर बहू को मार, पुत्र की पुनः दहेज लाने की साजिशें, ससुराल पक्ष द्वारा रची जाती हैं, अथवा अत्याचारों से तंग आकर विवाहिता खुदकुशी भी कर

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-03, No.-II, Issues-15YEAR-2014 Extra

लेती है।

विवाहिता द्वारा की गई आत्महत्याओं की घटनाओं के पीछे अधिकतर तो ससुराल वालों अथवा पति द्वारा किये गये अत्याचार प्रमुख कारण होते हैं। जैसे बेटी को अकेले अथवा बच्चों सहित रखने में माता–पिता को अतिरिक्त खर्च उठाना होता है, अथवा इस प्रतिष्ठा के कारण कि माता–पिता के घर से डोली उठने के बाद ससुराल से कन्या की अर्थी ही बाहर आती है। अथवा इस धारणा के कारण कि यदि लड़की अपने माता–पिता के घर में रहती है तो समाज में उनके परिवार की प्रतिष्ठा और प्रस्थिति कलंकित हो जाती है। इस कारण विवाह के पश्चात् माता–पिता बेटी को पर्याप्त सहयोग नहीं देते हैं।

दहेज प्रथा का अस्तित्व, प्रचलन तथा विस्तार बहुत भयानक हैं। शहरों, छोटे कस्बों और महानगरों में बढ़ रही दहेज हत्या की घटनाओं ने महिला समूहों का ध्यान आकृष्ट किया और 1980 के दशक के शुरू के वर्षों में दहेज अधिनियम में संशोधन की माँग की गई। दहेज प्रथा का एक परिणाम यह भी उभर कर आया है कि विवाह के समय दहेज के भावी भुगतान से मुक्ति पाने के लिए अमीनो सैंटोसिस (लिंग पहचान परीक्षण) की सहायता से उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत में जानबूझ कर कन्या भ्रूण हत्या की गई। यदि दहेज मृत्यु के आंकड़ों पर दृष्टि डाली जाए तो वर्ष 1991 में इनकी संख्या 5157, वर्ष 1992 में 4962 वर्ष 1993 में 5817, वर्ष 1994 में 4935 तथा वर्ष 1995 में यह संख्या बढ़कर 5092 हो गई थी, जिसमें निरन्तर आज भी बढ़ोतरी जारी है। (राष्ट्रीय महिला आयोग रिपोर्ट, 1996–97:7)।

दहेज के बारे में प्रचलित धारणा है कि यह महिला के निर्वाह का उत्तदायित्व लेने के लिए वर के परिवार को क्षतिपूर्ति दी जाती है। यह धारणा इस संकल्पना पर बनी है कि महिला 'कामकाजी' व्यक्ति नहीं है और विवाह के 1 परिवार पर वधु के परिवार से 'गैर कामकाजी' व्यक्ति के निर्वाह के इस 'भार' को डालता है। यह धारणा गलत है क्योंकि : (क) यह गृहिणी और माता के रूप में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली बहुआयाम भूमिका को कम आंकता है, और (ख) इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि रोजगार शुदा महिलाओं के लिए भी दहेज देने की आशा क्यों की जाती है ? वस्तुतः दहेज प्रथा का स्थयित्व महिलाओं की महत्ता को कम करता है और लड़कियों के पैदा होने को अवांछित बनाता है। (पहचान, महत्व और सामाजिक न्याय : 1998: 37–38)

3. वेश्यावृत्ति अथवा देह व्यापार– वेश्यावृत्ति मानवीय प्रतिष्ठा का अवमूल्यन करती है और उन्हें समाज में खरीदी और बेची जाने वाली वस्तु के रूप में पदस्थापित करती है। यह स्थिति किसी भी महिला को निम्नतर महिला अथवा 'पतित' महिला के रूप में चित्रित करती है। महिलाओं की कामुकता का व्यापार महिलाओं के आधुनिकीकरण से शुरू होता है। एक व्यक्ति के रूप में महिला की व्यक्ति उसकी कामुकता के उद्देश्यीकरण द्वारा कमजोर होता है। शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अकेले पुरूष का प्रवासन होता है वहाँ वेश्यावृत्ति बहुत अधिक है। (पहचान, महत्त्व और सामाजिक न्याय 1998:38) 1986 में वेश्यावृत्ति के अवैध कार्य को रोकने के लिए पहले वाला एस0आई0टी0ए0 (SITA) अधिनियम संशोधित किया गया था। फिर भी नया व्यक्तियों में अनिकता व्यापार निवारण अधिनियम का भी वैसा ही लक्ष्य, उद्देश्य तर्क और आधार वाक्य है। (ITPPA) Immoral Traffic in Persons Preventionl, परन्तु (ITPPA) वेश्याओं के प्रति दुराग्रहाओं है इसमें वेश्याओं को दंड देने संबंधी अनुच्छेों को रखा गया है और ग्राहकों को अपराधी नही बताया गया है।

वेश्यावृत्ति वास्तव में परिस्थितिजन्य विवशता है, इसमें दो विशेषतायें प्रमुख हैं –

(1) सामाजिक परित्याग और

(2) आर्थिक कंगाली।

पहली स्थिति में बहुत सी ऐसी महिलाएँ है जिनका सामाजिक दृष्टि से परित्याग किया गया हैं। जैसे – विधवाएँ, निराश्रय और परिपक्त महिलाएँ, धोखे और ठगी की शिकार जिन्हें विवाह का वचन दिया गया था अथवा विवाह किया गया था और जिस व्यक्ति पर विश्वास किया गया था उसने दलाल या वेश्यालय के मालिक को बेच दिया। सामाजिक परित्यक्तों में भी कई ऐसी महिलाएँ होती हैं, जिन्हें उनके परिवार, माता–पिता, पति द्वारा बलात्कार का शिकार होने के बाद छोड़ दिया जाता है और ऐसी मजबूरी की स्थितियों में महिलाओं को वेश्यालयों की शरण लेनी पड़ती है, जबकि इसमें उनका कोई दोष नहीं होता।

वास्तव में वेश्यावृत्ति बहुत गंभीर और जटिल समस्या है जिसे समझना आसान नहीं है कोई भी महिला इसे शौक मानकर नहीं अपनाती क्योंकि इसमें ऐसा कोई आनन्द नहीं होता। अनेकानेक व्यक्तियों को अपने शरीर को क्षत–विक्षत और दूषित करने देना, पूरे साल, दिन में कई बार, साल दर साल यह होते रहने देना जब तॉकि कि शरीर बूढ़ा न हो जाये। क्या यह तुच्छ बात है? यह अपमानजनक, घोर व्यथाकारी है, किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से इस सीमा तक तोड़ दिया जाता है कि उसके लिए अपना नया जीवन शुरू करना केवल कठिन ही

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-03, No.-II, Issues-15YEAR-2014 Extra

नहीं, अपितु दीर्घकालिक भयंकर आघात और यंत्रणा है।

अधिनियम के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब परिवारों ये अवयस्क लड़कियाँ या युवतियाँ वेश्यावृत्ति के लिए विवश की जाती हैं। जिसमें उनकी रहन–सहन और कामकाजी की दशाएँ बहुत शोचनीय है। उनका अपने शरीर, अपनी कमाई पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता और उनका स्वास्थ्य गिरता जाता है। उनके बच्चों को शिक्षा और अन्य सेवाऐ प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं मिलती। साथ ही वेश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। नेशनल क्राइम ब्यूरों रिकार्ड के अनुसार, 1989 में दर्ज कराए गए मामलों में तमिलनाडु में सर्वाधिक 7215, इसके बाद कर्नाटक 2689 और फिर आंध्र प्रदेश 1663। सम्पूर्ण भारत में इस तरह की घटनायें अत्यधिक होती रही है और निरन्तर जारी हैं। अकेले मुम्बई में 643, बंगलौर में 587 और कानपुर में 255 ऐसी घटनाओं को दर्ज किया गया। और तो और इसमें बाल वेश्यावृत्ति का धंधा जोरों पर है दिल्ली में ही इस धंधें में लिप्त 60 प्रतिशत लड़कियाँ नाबालिक पाई गई। इन पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि इसमें ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनका परिवार में ही यौनाचार किया जाता रहा और इससे पीड़ित होकर मजबूरन उन्होंने घर छोड़ा।

4. अश्लील साहित्य और संचार साधनों में महिलाओं का गलत चित्रण/ नारी देह का व्यापारिक उपभोग– स्त्री अशिष्ट (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 विज्ञापनों या प्रकाशनों, लेखों, चित्रों, आकृति में या किसी अन्य तरीकें में और इससे सम्बद्ध मामलों के लिए अथवा उनके लिए आकस्मिक प्रयोग के लिए स्त्रियों के अवशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करता है।

इसके बावजूद भी अश्लील साहित्य, पत्र–पत्रिकाएँ, चित्र, विज्ञापन पट और फिल्में बनाई जाती हैं। जिनमें 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के नाम पर नारी देह का अश्लील अथवा विकृत प्रदर्शन किया जाता है। जिससे महिलाओं के सम्मान को क्षति पहुँचती है। ऐसी स्थिति में एक ओर तो बलवावन, आक्रमणशील और उग्र पुरूषों की पितृसत्तात्मक छवि बनी रहती है और दूसरी ओर महिलाओं की छवि सेक्स वस्तु के रूप में दुर्बल, विनयशील और संवेदनशील मानव के रूप में प्रदर्शित होती है। इन छवियों का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, वस्त्रों, घरेलू उपयोग उपकरणों और कई अन्य वस्तुओं के विज्ञापन में वाणिज्यिक लाभ के लिए किया जाता है। महिला को कामुक और सम्मोहक रूप में तथा पुरूष को उग्र और स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया जाता है। फिल्मों में भी इसी फार्मूले का उपयोग किया जाता है। (पहचान, महत्त्व और सामाजिक न्याय 1998:40)। आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति और वैश्वीकरण का दबाव भी महिलाओं की छवि के ऊपर पड़ा है। धन, यश और कैरियर का लोभ दिखाकर वास्तव में उनकी देह का व्यापारिक उपयोग किया जा रहा है और इसे महिला उन्मुक्ता और स्वतंत्रता के शब्दों द्वारा एक बड़ें शिक्षित और महत्वाकांक्षी महिला समूह को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। यह स्थिति महिला उत्पीड़न की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में जिम्मेवारी मानी जा सकती

(अ) कन्या शिशु हत्या और भ्रूण हत्या– ''राजस्थान के एक शाही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी घवर में पुत्री जन्म होते ही उसे मार डालने का दस्तूर बरकरार।'' ''छ करोड़ महिलाये जो आज इस दुनिया में नहीं हैं।'' ''राजस्थान में ही भरतपुर जिले के एक गाँव में किसी भी परिवार में कन्या शिशु को जीवित रखना एक अपराध माना जाता है।''(राजेन्द्र रंजन : 99)

5. महिला अपहरण और अगुवाई– महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न का एक स्वरूप महिलाओं और लड़कियों का अहपरण या अगुवाई के रूप में सामने आता है। ''बालिकाओं का अपहरण।''

''तमंचे की नोक पर महिला और उसकी पुत्री को अगवा किया।''

वस्तुतः आज महिलाओं की स्थिति यह है कि उन्हें क्या घर के अंदर, क्या घर के बाहर, क्या शिक्षित, क्या अशिक्षित, क्या बालिकाएँ, क्या महिलाएँ सभी को बलात्कार, उत्पीड़न, छेड़छाड़, अनैतिकता व्यापार, दहेज, उत्पीड़न आदि की विकराल परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ रहा है।

नारी उपेक्षा : विभिन्न संदर्भों में– महिला उत्पीड़न के विभिन्न आयामों में नारी उपेक्षा भी महिला उत्पीड़न का एक असम्मानजनक पहलू है। नारी को हमेशा ही सामाजिक व्यवस्था में निचले स्तर पर रखा गया है और उसके संदर्भ में पुरूषों की अपेक्षा नारी पर अनेकानेक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक निषेध लगाए गए। साथ ही उसकी वैयक्ति स्वतंत्रता को अनेक तर्कों के द्वारा हमेशा ही सीमित करने की कोशिश की गई।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. वशिष्ट, विनीता (1998), 'नारी तुम अबला कम तक', समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश : 221
2. आहूजा, राज (1987), ' क्राइम अंग्रेस्ट वूमेन', रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली : 10–121

*****